ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत जंगल में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सकुन्तला देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री अश्वनी कुमार	01.04.2022 से 30.08.2022
2	श्रीमति मीना देवी	01.09.2022 से 31.11.2022
3	श्रीमति रजनी देवी	01.12.22 से 24.01.2023
4	श्रीमति मीना देवी	24.01.2023 से 11.05.2023
5	श्री अश्वनी कुमार	12.05.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	23.64
2	7.1	पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.07
3	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03
4	8.1	खनन सामग्री से रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित न करना	0.80
5	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.01
6	9.1 से 9.3	निर्माण कार्यों हेतु नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जाँच एवं सत्यापन के अभाव में दृष्टांत मामलों में अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना	0.22
7	9.4	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करना	0.04
8	9.5	क्रय की गई सामग्री का माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	4.32
9	9.6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.09

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.05.2024 से 27.05.2024 तक ग्राम पंचायत जंगल के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 94/2024 दिनांक 27/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत जंगल द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, जंगलबेरी, हमीरपुर, DDO NO-UQT 371088 दिनांक 06.06.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत जंगल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 20.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान आठ (8) रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) (Online), SDP (Online), VKVNY (Online), स्वच्छ भारत मिशन (Online), 5वें वित्तायोग (Online), 14वें वित्तायोग (Online), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित):-

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	247881.37	79631.00	327512.37	90898.00	236614.37
2023-24	236614.37	77273.00	313887.37	81232.00	**232655.37**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (2+3)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (4-5)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3142105.84	7102892.05	10244997.89	7213541.45	3031456.44
2023-24	3031456.44	2584713.92	5616170.36	3252466.46	**2363703.90**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (2+3)	व्यय (₹)	अंतिम शेष(₹) (4-5)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3389987.21	7182523.05	10572510.26	7304439.45	3268070.81
2023-24	3268070.81	2661986.92	5930057.73	3333698.46	**2596359.27**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	Own Sources & GIA	PNB Jangal Beri	1726000105049782	231755.37
2	SDP	PNB Jangal Beri	1726000105049746	151752.34

3	VKVNY	PNB Jangal Beri	1726000105049773	308820.26
4	SBM	PNB Jangal Beri	1726000105049791	936.00
5	5TH FC	PNB Jangal Beri	1726000105040213	242056.00
6	14TH FC	PNB Jangal Beri	1726000105037918	22.00
7	14TH FC	PNB Jangal Beri	1726001700020048	03.00
8	14TH FC	HDFC SUJANPUR	50100159693711	15.00
9	15TH FC	HDFC SUJANPUR	50100344960018	1694101.30
		योग		2629461.27
हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)				900.00
		योग (1+2)		2630361.27

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	232655.37
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	2363703.90
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**2596359.27**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष	2629461.27
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	900.00
6)	योग (4+5)	**2630361.27**
7)	**अन्तर (3-6)**	**34002.00**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में ₹0.34 लाख का अंतर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को स्वच्छ भारत मिशन (Online) व् 5वें वित्तायोग (Online) शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि ₹34002/- का अन्तर रोकड़ बही में कम के रूप में पाया गया |

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष का योग (₹)	अन्तर (₹)
1	स्वच्छ भारत मिशन	930	936	6
2	5वां वित्तायोग	208060	242056	33996
कुल अंतर				**34002**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 82/2024 दिनांक 20/05/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर राशि की जांच करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वास्नानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष

प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA (5) C (15)-(13) L 5-47005-81 दिनाँक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता – **"क"** व खाता- **"ख"** अलग-अलग से तैयार नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है और इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार रोकड़ बही व स्कीमवार बैंक खातों का रख-रखाव किया जाए और ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का अद्यतन सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6) लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 20.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 32 दिनांक 27.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनाँक 20.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 32 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित बैंक खातों का स्कीमवार अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके एवं कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹23.64 लाख का उपयोग न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 20.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹2363704** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि

विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनाँक 20.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 32 दिनाँक 27.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 20.05.2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 32 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 20.05.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 32 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता|

अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे|

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 20.05.2024 के क्रम संख्या 5, **सलंग्न (परिशिष्ट "ख")** के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर के रूप में प्राप्ति योग्य राशि **₹6600** शेष थी।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	488	50	24400	24400	20150	4250
2023-24	4250	497	50	24850	29100	22500	**6600**

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि के परादेय (outstanding) रखे जाने के कारणों का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था |

अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.002 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दोगुनी दर से विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **निम्न वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹200/- की वसूली नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	**नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण कि तिथि**	**रशीद संख्या**	**वसूली योग्य राशि (₹)**	**वसूली गई राशि (₹)**	**शेष राशि (₹)**
1	बिकास भाटिया	21.06.22	06.08.22	23086	400	200	200
			योग				**200**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85/2024 दिनांक 22.05.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली हेतु रसीद **संख्या 24419** दिनांक

27/05/2024 द्वारा सम्बन्धित से करके पंचायत लेखे में जमा करवा दिया गया है और राशि जिसे राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के मध्यनजर इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दोगुनी दर से विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹2800**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "ग"**) में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 86/2024 दिनांक 22.05.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹0.80 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्या: Ind-II(F)/6-14/2014,Vol-1 दिनांक 10.2.02022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution

of India) के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "घ")** अनुसार राशि **₹79990.079/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 87/2024 दिनांक 22/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अतः राशि **₹79990.079** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर/पत्राचार कर तदानुसार निपटाया जाये एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक

29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 05/2022 व 06/2023 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति **निम्न विवरणानुसार** अनुसार राशि **₹308962.32** (जी.एस.टी. को छोडकर) कुल भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्रोत पर राशि **₹6180/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	कटौती दर	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती योग्य राशि (₹)
1	05/2022	Suresh Chand contractor, vpo kheri, sujanpur	sand, agrrigate and stone	308962.32	2%	6179.2464
TOTAL						**6180.00**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 88/2024 दिनांक 22/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹6180/-** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है |

अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही.से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

9.1 मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित मास 05/2022 व 06/2023 में करवाए गए निर्माण कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री **सीमेंट** को खपत से अधिक जारी करने के कारण निम्न विवरणानुसार **₹14382/-** का अधिक भुगतान किया गया था:-

क) निर्माण कार्य का नाम :- c/o retaining wall panchayat ghar, jangal :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेंट (बैग)
34028 99, 101	CC 1:4:8	42.63	3.40	**144.94**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			148
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**3**
	क्रय दर			368.83 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (8 x 368.83 bag)			1106.49
	कुल अधिक भुगतान राशि			**1106/-**

ख) निर्माण कार्य का नाम :- c/o pakka rasta from ravi kumar house to kartar chand house :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेंट (बैग)
34028 53, 60	CC 1:4:8	2.57	3.40	**8.73**
	CC 1:2:4	1.07	6.40	**6.84**
	कुल खपत			**15.57**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			18
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**2**
	क्रय दर			368.83 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (2 x 368.83 bag)			737.66
	कुल अधिक भुगतान राशि			**736/-**

ग) निर्माण कार्य का नाम :- **c/o UPG jeepable sampark marg min road jakhu to shiv mandir :-**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेंट (बैग)
34028 80, 83	CC 1:4:8	21	3.40	**71.4**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			106
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**34.6**
	क्रय दर			368.83 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (34 x 368.83 bag)			12540.22
	कुल अधिक भुगतान राशि			**12540/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 95/2024 दिनांक 27/05/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों (ख + ग) (736+12540 = 13276) के अधिक भुगतान राशि **₹13276/-** हेतु (रसीद संख्या– 24428 व् 24430 दिनांक 11.06.24 को काट कर राशि मनरेगा शीर्ष खाते में जमा करवा दी है, शेष राशि की वसूली सहित जमा की पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जानी अपेक्षित है।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य (क) राशि ₹1106/- के किये गये अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आगामी उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जाँच एवं सत्यापन सहित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें।

9.2 5वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ₹0.08 लाख का सीमेंट के रूप में अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित मास 05/2022 व 06/2023 में निम्न विवरणानुसार 5वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप

पुस्तिकाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के रूप में **₹7812/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

(क) निर्माण कार्य का नाम :- c/o sock pit IRB jakhu :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेंट (बैग)
34028 53, 60	CC 1:3:6	0.39	4.40	**1.71**
19653 44-47	CC 1:1.5:3	1.05	8	**8.4**
	Brik Work 1:6	4	1.2	**4.8**
	कुल खपत			**14.91**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			18
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**3**
	क्रय दर			368.83 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (3 x 368.83 bag)			1106.49
	कुल अधिक भुगतान राशि			**1106/-**

ख) निर्माण कार्य का नाम :- C/O Retaining wall with path near house of sambhu ram toward kuldeep house :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत (CFT)
19606 83,84,85	CC 1:4:8	**11.22**	(.47 x 35.31)	**186.20**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			300
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**113.79**
	क्रय दर (₹)			14.95/cft
	अधिक भुगतान (113.79 x 14.95)			1701.16
	कुल अधिक भुगतान			**1701/-**

ग) निर्माण कार्य का नाम :- Repair Paver Block tile type 3 Qtr :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेंट (बैग)
19653 47-50	CC 1:3:6	8.96	4.40	**39.42**

	CC 1:2:4	0.64	6.4	**4.09**
	कुल खपत			**43.51**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			60
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**16**
	क्रय दर			312.83 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (16 x 312.83 bag)			5005.28
	कुल अधिक भुगतान राशि			**5005/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 96/2024 दिनांक 27/05/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों (क+ग)(1106+5005) के अधिक भुगतान राशि **₹6111/-** हेतु **(रसीद No– 24426 व् 24427)** दिनाँक 11.06.24 को काट कर राशि 5वें वित्तायोग शीर्ष खाते में जमा करवा दी गई है, शेष राशि की वसूली सहित जमा की पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जानी अपेक्षित है।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य (ख) राशि ₹1701/- के किये गये अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आगामी उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जाँच एवं सत्यापन सहित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें।

9.3 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए निम्न विवरणानुसार **₹2492/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि
1	Land development & retaining wall Ramesh chand s/o kali ram, jakhu	(मस्ट्रोल संख्या - (6081,2671,3732) भुगतान राशि - (416+10600+9100) =20116 x 2/3=13410	Cement	15903	13410	2492.33
योग						**2492/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2024 दिनांक 27/05/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान राशि **₹2492/-** के भुगतान की वसूली हेतु **(रसीद No–24431** दिनाँक 11.06.24 को काट कर राशि मनरेगा शीर्ष खाते में जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जानी अपेक्षित है।

अतः भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आगामी उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जाँच एवं सत्यापन सहित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें।

9.4 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.04 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अन्तर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/boulders) की आपूर्ति में रिक्तियां (voids) 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु **(सलंग्न परिशिष्ट "च") अनुसार** राशि **₹31241.00/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹3905.13/-** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92/2024 दिनांक 27.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जंगल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण उक्त अनियमितता हुई है।

अत: पत्थरों की खरीद में voids की 12.5% की कटौती न करने के कारण राशि ₹3905.13/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा देय राशि की उचित स्रोत से वसूली करनी सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

9.5 राशि ₹4.32 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 05/2022 व 06/2023 में **(सलंग्न परिशिष्ट "छ") अनुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत नियमानुसार राशि ₹**432193**/- का भुगतान किया गया था।

जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93/2024 दिनांक 27/05/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा|

अत: नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

9.6 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.09 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्राविधित हैं|

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **सलंग्न (परिशिष्ट "ज")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹309540/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है |

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 89/2024 दिनांक 27.05.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 34 दिनांक 27/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण में दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना आगामी समय में कर ली जाएगी | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है |

अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधार व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 27.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत से अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जो स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80/2024 दिनांक 20.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 एवं पंचायती राज सामान्य नियम,

1997 के नियम 34 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित है। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 32 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
12	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/2024 दिनांक 27.05.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 32 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम

पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

0 5 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का0/प्रति

3785 - 3789

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)115/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 5 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का0/प्रति

ANNEXURE - 'क' पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	247881.37	79631.00	327512.37	90898.00	236614.37
2	2023-24	236614.37	77273.00	313887.37	81232.00	232655.37

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3142105.84	7102892.05	10244997.89	7213541.45	3031456.44
2	2023-24	3031456.44	2584713.92	5616170.36	3252466.46	2363703.90

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3389987.21	7182523.05	10572510.26	7304439.45	3268070.81
2	2023-24	3268070.81	2661986.92	5930057.73	3333698.46	**2596359.27**

Jagal

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खण्ड सुजानपुर,जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

SDP (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	746.34	20	766.34	0	766.34
2	2023-24	766.34	150986	151752.34	0	**151752.34**

VKVNY (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	9103.2	784375	793478.2	414019.4	379458.8
2	2023-24	379458.8	162597	542055.8	233235.54	**308820.26**

स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	888	24	912	0	912
2	2023-24	912	18	930	0	**930**

5th FC की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1065866	2153251	3219117	2721912	497205
2	2023-24	497205	456929	954134	746074	**208060**

Jangal

-51-

14वां की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	460081	3685	463766	459416	4350
2	2023-24	4350	111	4461	4421	**40**

15वां वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1605421.3	1131277	2736698.3	587934	2148764.3
2	2023-24	2148764.3	303044	2451808.3	757707	**1694101.3**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	3030260.05	3030260.05	3030260.05	0
2	2023-24	0	1511028.92	1511028.92	1511028.92	**0**

Jaypal

Annaxure 'ख' **पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित**

(House Tax) Gram Panchayat-Jangal, Block-Sujanpur (01.04.2022 से 31.03.2024)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	488	50	24400	24400	20150	4250
2023-24	4250	497	50	24850	29100	22500	6600

Jangal

(28)

Annaxure 'ग' पैरा संख्या 7.3 में सदर्भित

(विवाह पंजीकरण सूचि) ग्राम पंचायत जंगल, विकास खंड सुजानपुर, जिला हमीरपुर (01.04.2022 से 31.03.2024)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी	प्राप्त राशि	बकाया राशी
1	मनीष सिंह रांगडा	21.04.22	09.05.22	23080	200	200	0
2	अभिषेक ठाकुर	06.07.22	14.07.22	23081	200	200	0
3	बिकास भाटिया	21.06.22	06.08.22	23086	400	200	200
4	सुमित कुमार	10.08.22	25.08.22	23094	200	200	0
5	रजनीश कुमार	26.09.22	19.10.22	23315	200	200	0
6	विनोद कुमार	12.10.22	02.11.22	23316	200	200	0
7	सुमन कुमार	04.12.22	22.12.22	23317	200	200	0
8	सतीश कुमार	08.12.22	26.12.22	23318	200	200	0
9	संतोष कुमार	01.12.22	31.12.22	23327	200	200	0
10	साहिल कुमार	24.09.23	23.10.23	23395	200	200	0
11	जोगिन्दर सिंह	29.11.23	28.12.23	23400	200	200	0
12	अमन राणा	18.02.24	27.02.24	24409	200	200	0
13	मुनीश भारद्वाज	12.03.24	21.03.24	24415	200	200	0
योग					2800	2600	200

Tangal

Annaxure 'ज' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खंड सुजानपुर जिला हमीरपुर
रॉयल्टी की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024) चयनित माह 05/22 and 06/23

S/NO	Scheme	Voucher No	Name Of Work	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne	Total
1	MGNREGA	187	C/O LD RWALL VIJAY KUMAR S/O TARA CHAND	033 (26/12/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	aggregates	4.252	1.520	6.463	80	517.007
2	MGNREGA	121	C/O COMPLETION WORK BASKETBALL COURT NEAR 4TH	018 (12/11/2024)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	34.014	1.620	55.102	80	4408.163
						aggregates	34.014	1.520	51.701	80	4136.054
3	MGNREGA	120	C/O SOIL PROTECTION WORK 4TH IRBN JAKHU	023 (14/11/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	STONES	8.503	2.240	19.048	80	1523.810
4	MGNREGA	98	C/O LD AND RWALL SAVITRI DEVI W/O SAMBHU RAM	016 (03/10/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	6.378	1.620	10.332	80	826.531
						AGRE	6.378	1.520	9.694	80	775.510
5	MGNREGA	97	C/O SOIL PROTECTION WORK 4TH IRBN JAKHU	012 (15/08/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	STONES	11.338	2.240	25.397	80	2031.746
6	MGNREGA	96	C/O SOIL PROTECTION WORK 4TH IRBN JAKHU	011 (15/08/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	STONES	11.338	2.240	25.397	80	2031.746
7	MGNREGA	92	C/O SOIL PROTECTION WORK 4TH IRBN JAKHU	008 (15/08/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	STONES	11.338	2.240	25.397	80	2031.746
8	MGNREGA	93	C/O SOIL PROTECTION WORK 4TH IRBN JAKHU	010 (15/08/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	STONES	11.338	2.240	25.397	80	2031.746
9	MGNREGA	214	C/O LD RWALL RAJ KUMAR S/O BASANT RAM JAKHU	040 (08/04/2022)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	5.669	1.620	9.184	80	734.694
						AGGREG	5.669	1.520	8.617	80	689.342
10	MGNREGA	215	C/O RWHT MOTI RAM S/O HIRA LAL VILLAGE JAKHU	039 (07/04/2022)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	8.503	1.620	13.776	80	1102.041
						AGGREG	8.503	1.520	12.925	80	1034.014
11	MGNREGA	112	C/O LD RWALL VIJAY KUMAR S/O RANGILA RAM VILLAGE	3706 (07/04/2023)	M/S NIRMLA ENTERPRISES jangal beri	sand	2.834	2.240	6.349	80	507.937
						Agg	4.252	1.520	6.463	80	517.007
12	MGNREGA	101	C/O SWD/WC OR UPG. SAMPARK MARG MAIN ROAD TO SUNIL KUMAR HOUSE WARD	123 (08/04/2023)	SURESH CHAND vpo kheri	STONE	2.268	2.240	5.079	80	406.349
						AGGREG	20.408	1.520	31.020	80	2481.633
						SAND	13.605	1.600	22.041	80	1763.265

29

Secretary Gram Panchayat Jangal

13	MGNREGA	102	C/O SWDD WC C/O UPG PAKKA RASTA FROM BIDHI CHAND TO HARI RAM HOUSE JANGAL	124 (18/04/2023)	SURESH CHAND vpo kheri	SAND	9.070	1.620	14.694	80	1175.510
						AGGREG	11.338	1.520	17.234	80	1378.685
						STONE	4.535	2.240	10.159	80	812.698
14	MGNREGA	103	C/O RETAINING WALL PANCHAYAT GHAR JANGAL	125 (19/04/2023)	SURESH CHAND vpo kheri	SAND	13.605	1.620	22.041	80	1763.265
						AGGREG	18.141	1.520	27.574	80	2205.896
						STONE	2.268	2.240	5.079	80	406.349
15	MGNREGA	104	C/O SWDD/WC OR C/O UPGR. LINK ROAD FROM PIPAL TREE	126 (21/04/2023)	SURESH CHAND vpo kheri	SAND	11.338	1.620	18.367	80	1469.388
						AGGREG	9.070	1.520	13.787	80	1102.948
16	14TH FC	5	ADDITIONAL AND ALTERATION TILING GROUND FLOOR PANCHAYAT GHAR JANGAL	035 (29/03/2022)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	4.252	1.620	6.888	80	551.020
17	14TH FC	9	C/O BOUNDARY WALL PANCHAYAT GHAR GP JANGAL	034 (28/03/2022)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	1.984	1.620	3.214	80	257.143
						AGGREG	5.669	1.520	8.617	80	689.342
18	15TH FC	2	C/O UPG LINK ROAD JEPPABLE FROM SADHU RAM HOUSE TO GUGGA MANDIR GP JANGLE	041 (08/04/2022)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	AGGREG	17.007	1.520	25.850	80	2068.027
						SAND	15.590	1.620	25.255	80	2020.408
						STONES	14.172	2.240	31.746	80	2539.683
19	15TH FC	51	UPGRADATION BOURI UPPER DUDHLA WARD NO 05	134 (12/12/2023)	SURESH CHAND vpo kheri	AGGREG	2.268	1.520	3.447	80	275.737
						SAND	4.535	1.620	7.347	80	587.755
20	15TH FC	50	UPGRADATION KHATRI LOWER DUDHLA	144 (05/02/2024)	SURESH CHAND vpo kheri	AGGREG	6.803	1.520	10.340	80	827.211
						SAND	6.803	1.620	11.020	80	881.633
21	15TH FC	49	C/O PATH HATINDER SINGH HOUSE TO AJAY PRASHANT	136 (29/12/2023)	SURESH CHAND vpo kheri	AGGREG	5.669	1.520	8.617	80	689.342
						SAND	4.535	1.620	7.347	80	587.755
22	15TH FC	48	UPGRADAATION OF AMBULANCE ROAD MAIN ROAD TOWARDS AMAR SINGH HOUSE	145 (06/02/2024)	SURESH CHAND vpo kheri	AGGREG	11.338	1.520	17.234	80	1378.685
						SAND	11.338	1.620	18.367	80	1469.388
						STONES	4.535	2.240	10.159	80	812.698
23	15TH FC	46	C/O UPGRADATION OF PATH MAIN ROAD TOWARDS SC BASTI THARU KUALI WARD NO 01	138 (03/01/2024)	SURESH CHAND vpo kheri	AGGREG	6.803	1.520	10.340	80	827.211
						SAND	9.070	1.620	14.694	80	1175.510
						STONES	2.268	2.240	5.079	80	406.349
24	15TH FC	45	UPGRADATION OF PATH FROM MANDIR TOWARDS SARLA DEVI	140 (01/02/2024)	SURESH CHAND vpo kheri	AGGREG	2.268	1.520	3.447	80	275.737
						SAND	2.268	1.620	3.673	80	293.878
25	5TH FC	25	REPAIR RETAINING WALL NEAR RAMESH CHAND HOUSE	024 (20/11/2021)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	7.086	1.620	11.480	80	918.367
						AGGREG	7.086	1.520	10.771	80	861.678
26	5TH FC	24	R/O RESTORATION OF RETAINING WALL TO PROTECT PATH NEAR THE HOUSE OF	038 (30/03/2022)	NISHA DEVI vill bajahar po trapohal	SAND	8.503	1.620	13.776	80	1102.041
						AGGREG	5.669	1.520	8.617	80	689.342
						STONES	2.834	2.240	6.349	80	507.937

30

Jangal

27	5TH FC	85	C/O RAIN SHELTER NEAR JANGAL PUL	291 (22/06/2022)	SURESH CHAND vpo kheri	SAND	4.535	1.620	7.347	80	587.755
						AGGREG	4.535	1.520	6.893	80	551.474
28	5TH FC	88	REPAIR AND ALTERATION OF MAHILA MANDAL LOWER DUDHLA	122 (30/06/2023)	SURESH CHAND vpo kheri	SAND	2.268	1.620	3.673	80	293.878
								योग	**799.901**	**80**	**63992.063**
								25 % पनेल्टी			**15998.016**
								कुल योग			**79990.079**

Jangal

31

Annaxure 'ड' पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खंड सुजानपुर जिला हमीरपुर

(GST/TDS) की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024) चयनित माह 05/22 and 06/23						
क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि	योग	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती योग्य राशि
1	05/22 & 06/23	Suresh Chand contractor, vpo kheri, sujanpur	sand, agrrigate and stone	308962.32	58962.32	1179.24 (2% x 58962.32)
TOTAL					**58962.32**	**1180/-**

Secretary
Gram Panchayat Jangal
Dev. Block Sujanpur Tira
Distt. Hamirpur (H.P.)

32

Annaxure "च" पैरा संख्या १.५ में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खंड सुजानपुर, जिला हमीरपुर,

पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	वाउचर/बिल संख्या	दिनांक	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (cft)	मूल्य दर (cft)	मूल्य	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)
1	10	0	nisha devi, vill bajahar, sujanpur	stone	400	13.95	5580	12.5	697.50
2	11	0	nisha devi, vill bajahar, sujanpur	stone	400	13.95	5580	12.5	697.50
3	8	0	nisha devi, vill bajahar, sujanpur	stone	400	13.95	5580	12.5	697.50
4	23	0	nisha devi, vill bajahar, sujanpur	stone	300	13.95	4185	12.5	523.13
5	12	0	nisha devi, vill bajahar, sujanpur	stone	400	13.95	5580	12.5	697.50
6	123	0	Suresh chand, vpo kheri, sujanpur	stone	80	14.8	1184	12.5	148.00
7	125	0	Suresh chand, vpo kheri, sujanpur	stone	80	14.8	1184	12.5	148.00
8	124	0	Suresh chand, vpo kheri, sujanpur	stone	160	14.8	2368	12.5	296.00
Total							**31241**	**12.5**	**3905.13**

33

Secretary
Gram Panchayat...Jangal
Dev. Block Sujanpur Tira
Distt. Hamirpur (H.P.)

— 58 —

Annaxure (छ) पैरा संख्या १.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खंड सुजानपुर जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि
2	MNREGA	Land development/retatining wall of savitri devi	14436
4	MNREGA	c/o UPG link road from aganbadi to ranvir singh ghar jakhu	109491
7	MNREGA	c/o link road from aganbadi to ranvir singh ghar jangal	16280
8	MNREGA	c/o pakka rasta main road varshashalika to balla johad	1800
11	MNREGA	c/o pakka rasta from bidhi ram to hari ram house	19927
12	VKVNY	c/o rain shelter near pul jangal	9920
13	VKVNY	repair and alteration of mahila mandal lower dudhla	1240
14	VKVNY	c/o rain shelter near pul jangal	25965
15	5th FC	c/o retaining wall near ramesh chand house jangal khas	19799
16	5th FC	c/o cruch IRB jakhu	31283
17	15th FC	c/o upgradation of ambulance road main road to amar singh house ward no-3	22050
18	15th FC	upgradation of boudi upper dudhla ward no 5	1800
19	15th FC	upgradation of path mandir bouri towards sarla devi house 1	13704
20	15th FC	drain from jasbir kumar house to santosh kumar cowshed vill jangal	3760
21	15th FC	upgradation of ambulance road main road towards amar singh house wn-3	21168
22	15th FC	c/o of path hatinder singh house towards ajay prasha near house wn-2	8780
23	15th FC	upgradation of khatri main road upper dudhla	11280
24	15th FC	upgradation of boudi dudhla wn-5	5000
25	15th FC	upgradation of boudi dudhla wn-5 deligated panchayat smiti	2190
26	15th FC	upgradation of path mandir bouri towards sarla devi house 1	17264
27	15th FC	upgradation of link road jeepable from shadhu ram house towaard gugga mandir	75056
Total			**432193**

Jangal

Annaxure ऊ पैरा संख्या 9.6 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल, विकास खंड सुजानपुर जिला हमीरपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) चयनित माह 05/22 AND 06/23

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि
1	MNREGA	216	5480 04/22	M/S MAHAJAN TRADERS & BRO, SUJANPUR	KAJARIA TILES	35400.00
2	MNREGA	215	39 04/22	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND, SHUTTRING	16540.00
3	MNREGA	214	40 04/22	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND, SHUTTRING	11425.00
4	MNREGA	190	194 03/22	DEVANSH ALUMINIUM WORK AND TRADING CO, PRAGE DA GALU, KANGRA	WINDOW ALUMINIUM	45000.00
8	MNREGA	93	10 08/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	STONE	5580.00
9	MNREGA	96	11 08/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	STONE	5580.00
10	MNREGA	92	08 08/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	STONE	5580.00
11	MNREGA	120	23 11/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	STONE	4185.00
12	MNREGA	97	12 08/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	STONE	5580.00
13	MNREGA	98	16 10/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND	8820.00
14	MNREGA	119	21 11/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND	8820.00

35

Jangal

15	MNREGA	187	33 12/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SHATRING	8024.00
16	MNREGA	121	18 11/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND	58980.00
17	MNREGA	150	1279 01/22	SURYA TRADERS VPO KHERI SUJANPUR	FLOOR GLASS	9975.00
18	MNREGA	192	207 03/22	DESH RAJ BALDING WK, VILL MIHARPURA, SUJANPUR	IRON	28400.00
28	5TH FC	24	38 03/22	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND,STONE	10730.00
29	5th FC	26	24 11/21	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND	9799.00
30	15TH FC	2	041 04/22	NISHA DEVI, VILL BAJAHAR, SUJANPUR	AGGRIGATES, SAND,STONE	31122.00
योग						**309540.00**

Jangal

67